



~~16-1-06~~
16-1-06

(19)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालोयर, १ म०प्र०

221
17/06

श्रीमान्
6
अपील



A 95-II/106

महोदय हुसेन अतारी तनय शेष रमजान अन्तारी, निवासी-गुट, तहसील-गुट,
जिला-रीवा म०प्र०

-----अपीलांट

बनाम

मन्जूर अली तनय शाकिर अली निवासी ग्राम-गुट, तहसील- गुट, जिला-रीवा

-----रेस्पाडेंट

श्रीमान्
राजस्व मंडल बोर्ड
जिला रीवा (म०प्र०)
अपील-5-2
14713-6-1-06 म०प्र०

अपील विस्तार निर्णय व आदेश प्रकरण क्र०-60
/अपील/99-2000. न्यायालय श्रीमान् अपर
आयुक्त महोदय रीवा संग्राम रीवा म.प्र.
आदेश दिनांक:- 28.11.2005.

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) 2(1) म.प्र. अधिनियम
राजस्व सीधता ।

प्रथम अपील

श्रीमान्
राजस्व मंडल
नं० 50
व ग्वालोयर

मार्च 11
171.06

मान्यवर,

अपील के आधार निम्नलिखित है:-

- 01- यह कि अपीलांट मो० हुसेन अतारी अधिनस्थ न्यायालय अपर कमीशनर कोर्ट रीवा संग्राम रीवा, के आदेश दिनांक-28-11-2005. के विस्तार यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जो उक्त अपील माननीय न्यायालय में ग्राह्य योग्य है
- 02- यहां कि अपीलांट माननीय अधिन न्यायालय श्री महोदय अपर कमीशनर

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ


प्रकरण क्रमांक अपी0 95 -दो/2006

जिला रीवा

मो0 हुसैन अंसारी

विरुद्ध

मन्जूर अली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>५-11-2016</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री कुवेर प्रसाद अग्निहोत्री अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रकरण में वही तर्क प्रस्तुत किए जो अपील मेमो में अंकित हैं।</p> <p>प्रकरण में अपील मेमो का अध्ययन किया गया तथा अपील मेमो के संलग्न अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 28.11.2005 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद रास्ते से संबंधित है।</p> <p>अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपित आदेश में निकाले गये निष्कर्षों पर विचार किया गया, विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त आधार न होने से यह अपील प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र0दा0रि0 हो।</p>	<p> सदस्य</p>